सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा–4 के अन्तर्गत

17 मैनुअल्स का संग्रह

उत्तराखण्ड शासन

मैनुअल संख्या–03 (तीन)

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

मैनुअल संख्या–3 (तीन)

उत्तराखण्ड शासन

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।

विषय–सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मैनुअल संख्या–3	
1.	किसी विषय पर निर्णय लेने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, व्यवस्था, प्राधिकृत अधिकारी	1–3
2.	शा0सं0 19 / xv–2 / 2(30)06 दिनांक 25 फरवरी, 2009 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–2, देहरादून	4
3.	शा0सं0 12(1) / xv–2 / 7(16)05 दिनांक 15 जनवरी, 2009 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–2, देहरादून	5–6
4.	शा0सं0 534 / xv–2 / (8)05 दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–2	7–8
5.	पत्रसं0 7028 / नि0ले0ह0 / 14(4) / टीसी / iv / 2008 दिनांक 16 सितम्बर, 2008 कार्यालय लेखा एवं हकदारी, देहरादून	9–10
6.	शा0सं0 219 (1)xv–2 / 2008 दिनांक 27 फरवरी, 2008	11–12
7.	शा0सं0 सी–1166 / xxxvi(4)/2007 दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 उ0शा0 विधायी विभाग, देहरादून	13
8.	शा0सं0 102 / xv–2 / 2007 दिनांक 30 मार्च, 2007 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–2, देहरादून।	14–16
9.	शा0सं0 128 / लेखा 20:80 / डेरी / 2005 दिनांक 11 अगस्त, 2005 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी अनुभाग	17
10.	शा0सं0 सी–249 / xiv–1 / 2005 दिनांक 19 जुलाई, 2005 उत्तरांचल शासन, गन्ना, चीनी एवं सहकारिता अनुभाग–1, देहरादून	18–21
11.	शा0सं0 69 / लेखा 20:80 / डेरी / 2005 दिनांक 18 जून, 2005 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी अनुभाग	22
12.	शा0सं0 181 / xv / डेरी / 2005 दिनांक 31 मार्च, 2005 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी अनुभाग	23–24
13.	शा0सं0 28 / xv / डेरी / 2004 दिनांक 25 मई, 2004 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी अनुभाग	25
14.	शा0सं0 73 / डेरी / 2004 / 2(62) / 2001 दिनांक 09 फरवरी, 2004	26–28

	व0एवंग्रा0 वि0शा0 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी अनुभाग	
15.	शा0सं0 181 / व0ग्रा0वि0 / डेयरी विकास / दिनांक 13 फरवरी, 2003 उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी अनुभाग	29–31
16.	शा0सं0 1488 / 53–2001–3(30) / 96 दिनांक 18 जुलाई, 2001 दुग्ध विकास अनुभाग अनुभाग, उ0प्र0 शासन	32–33
17.	शा0सं0 60 / व0ग्रा0वि0 / डेयरी विकास दिनांक 28 जून, 2001 उत्तरांचल शासन, देहरादून	34–38
18.	शा0सं0 527 / xii-62 / व0एवं0 ग्रा0वि0 / 2001 दिनांक 30 मार्च, 2001 उत्तरांचल शासन, देहरादून	39–40
19.	पत्र सं0 एस–3–1228 दिनांक 26 मई, 2000 उ0प्र0शासन, लखनऊ	41–42
20.	शा0सं0 1052 / xii दुग्ध / व0एवं0 ग्रा0वि0 / 2001 दिनांक 31 अगस्त, 2001उत्तरांचल शासन, देहरादून	43–45
21.	शा0सं0 364 / उत्तरांचल राज्य / 75 दिनांक 16 जनवरी, 2001 कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्ध शाला विकास उत्तर प्रदेश	46–47
22.	शा0सं0 818 / बारह–दु0वि0–92–2(59)84 दिनांक 30 मई, 1992 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	48
23.	शा0सं0 1471 / 28–8–89–4(08–दु0) / 88 दिनांक 08 नवम्बर, 1990 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	49–50
24.	शा0सं0 1481 / 28–8–89–4(30–दु0) / 88 दिनांक 28 जुलाई, 1990 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	51–52
25.	शा0सं0 3484 / 28–8–88–4(17–दु0) / 87 दिनांक 15 फरवरी, 1989 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	53–54
26.	शा0सं0 3848 / 28–8–87–4(6–दु0) / 84 दिनांक 18 अगस्त, 1987 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	55–56

1.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये संगठन / विभाग में क्या प्रकिया अपनायी जानी है? (सचिवालय मैनुअल और बिजीनस मैनुअल के नियमों का उल्लेख किया जा सकता है।)

– प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों पर निर्णय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों पर विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन कार्यो के सम्पादन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा लिया जाता है।

– प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों पर निर्णय सी0सी0ए0 रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लिये जाते है।

– निदेशक, डेरी विकास को फाइनेंसियल हैण्डबुक वाल्यूम एक, दो (खण्ड–दो से चार), तीन तथा पांच एवं जी.पी.एफ. रूल्स में उल्लिखित संगत नियमों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष था बजट

मैनुअल के प्रयोजनार्थ विभाग का बजट नियंत्रक अधिकारी और अपने विभाग/अधिष्ठान के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है।

– दुग्ध सहकारिताओं से सम्बन्धित निर्णय उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 249/XIV–1/2005 दिनांक 19 जुलाई, 2005 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया जाता है।

– दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियमन आदेश 1992 के अन्तर्गत किसी भी विषय पर निर्णय निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित नियमन आदेश में निर्धारित प्रक्रियानुसार लिया जाता है।

1.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है?

– किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने हेतु निर्धारित नियमों का उल्लेख प्रस्तर 9.1 में किया जा चुका है। निर्णय लेने हेतु निम्न स्तरों पर विचार किया जाता है–

– सहायक लेखाधिकारी, डेरी विकास उत्तराखण्ड
दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता, डेरी विकास उत्तराखण्ड
सहायक निदेशक, डेरी विकास, उत्तराखण्ड
उपनिदेशक, डेरी विकास, उत्तराखण्ड
संयुक्त निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड

1.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुचाने के लिये क्या व्यवस्था है?

– डाक द्वारा।
– पत्र वाहक द्वारा।

1.4 विभिन्न स्तरों पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है?

– सहायक लेखाधिकारी
दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता
सहायक निदेशक, डेरी विकास,
उपनिदेशक, डेरी विकास
संयुक्त निदेशक

1.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी।

– निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

1.6 मुख्य विषय जिस पर संगठन द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र0सं0:–1	
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन**
दिशा– निर्देश (यदि हो तो)	1. उपविधियों के अनुसार कार्यप्रणाली होनी चाहिए

	2. स्वावलम्बी होने की पूर्ण सम्भावना हो।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	सहकारी समिति अधिनियम–2003 एवं सुसंगत नियमावली–2004 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–249/XIV-1/ 19 जुलाई, 2005 के अनुरूप निर्णय लिये जाते है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	1. जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी विकास, 2. उपनिदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल), 3. निदेशक, डेयरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें।	1. प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों– उपनिदेशक, डेयरी विकास उत्तराखण्ड। 2. केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समितियां– निदेशक, 3. शीर्ष सहकारी समिति–सचिव, डेयरी विकास
क्र0सं0:–2	
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**मध्यस्थ निर्णय**
दिशा– निर्देश (यदि हो तो)	–
निर्णय लेने की प्रक्रिया	सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं सुसंगत नियमावली 2004 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–249/XIV-1/ 19 जुलाई, 2005 के अनुरूप निर्णय लिये जाते है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, सहायक निदेशक, उपनिदेशक, निदेशक एवं जिलाधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	1. जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी विकास, 2. निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल एवं 3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें।	विभिन्न स्तरों पर लिये गये निर्णय के विरूद्ध उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम में निहित प्राविधान अनुसार निम्न के समक्ष अपील की जा सकती है 1. निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड 2. सचिव (डेरी), उत्तराखण्ड शासन 3. सहकारी न्यायाधिकरण

क्र0सं0:–3	
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियमन आदेश 1992 के अन्तर्गत निबन्धन**
दिशा– निर्देश (यदि हो तो)	स्वच्छता सम्बन्धी मानकों का अनुपालन
निर्णय लेने की प्रक्रिया	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियमन आदेश 1992 में निहित प्राविधानों के अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	1. जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी विकास, 2. निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें।	संयुक्त सचिव, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विकास, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

संख्या–19/**XV**–2/2(30)06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2009

विशय–डेरी विकास विभाग का देहरादून स्थित सम्पर्क कार्यालय को पुनः क्रियाशील करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–531–32/स्था0/2008–09 कैम्प–देहरादून, दिनांक 18–09–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डेरी विकास विभाग के कार्यो की तीव्र गति प्रदान किये जाने, शासन स्तर से अल्प समय में सूचनाएं प्राप्त करने एवं देहरादून में आहूत की जाने वाली समस्त बैठकों में निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के उददेश्य से सभी आयोजित की जाने वाली बैठकों में डेरी विकास विभाग का एक सम्पर्क कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में एक सम्पर्क कार्यालय बना हुआ था जो कि वर्तमान में निष्क्रिय है, को पुनः क्रियाशील किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। डेरी विकास विभाग के देहरादून स्थित सम्पर्क कार्यालय में निम्न पदों के कार्मिक तैनात रहेगेंः–

1.	उपनिदेशक	–	01 पद
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II	–	01 पद
3.	मुख्य सहायक	–	01 पद
4.	कनिष्ठ सहायक	–	01 पद
5.	लेखाकार	–	02 पद

भवदीय,
ह/–
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव ।

संख्या– /09/(1)/ XV–2/2(30)06 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निजी सचिव–मा0 मंत्री,दुग्ध विकास के संज्ञानार्थ हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

संख्या– /XV–2/7(16)05

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 15 जनवरी 2009

विषयः–दुग्ध विकास विभाग में वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लेखा संवर्ग के पदों के संबंध में लिये गये निर्णय का कियान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से दुग्ध विकास विभाग में लेखा संवर्ग के लिए दुग्ध विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या–2489/53–2–2004–3 (73) /01 दिनांक 17 अगस्त 2004 के द्वारा ली गयी व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड राज्य डेरी विकास विभाग के लेखा संवर्ग हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. डेरी विकास विभाग में लेखा लिपिक/रोकड़िया (वेतन बैंड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2400/–)(वेतनमान रू0 4000–6000) के सभी पदों को सहायक लेखाकार वेतनमान रू0 4500–7000 रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800/–के पदों में संविलियन कर ''सहायक लेखाकार'' पदनाम से वेतनमान रू0 4500–7000 रखा जाय। भविष्य में लेखालिपिक /रोकड़िया पदनाम से कोई नियुक्ति/पदोन्नति नहीं की जायेगी।
2. विभाग में लेखा संवर्ग में न्यूनतम पद पर सहायक लेखाकार वेतनमान(रू0 4500–7000 रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800/–) का होगा जिसे स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टैन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में ''ओ'' लेविल का सर्टिफिकेट अर्हताधारियों में से ही सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। वर्तमान में ऐसे पदधारक जिन्हें कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान नहीं है, उन्हें समयबद्व रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने पर इस प्रतिबन्ध के साथ लेखाकार पदनाम एवं रू0 5500–9000 (वेतनबैंड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200/–) वेतनमान अनुमन्य होगा कि किसी भी समय लेखाकार के पद के पदधारकों की संख्या सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।
4. शासन के इस निर्णय के फलस्वरूप लेखा संवर्ग के पदों हेतु निदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी नामित किया जाता है।
5. उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित विभागीय परीक्षा के संचालन एवं पाठयक्रम निर्धारण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारण के उपरान्त उस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. उक्तानुसार पदनाम, वेतनमान एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा।
7. उक्त व्यवस्था दिनांक 17 अगस्त 2004 से ही प्रभावी मानी जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–143/ XXVII{7}/2008 दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/–

(राजीव चन्द्र)

सचिव

संख्या– 12–(1)/xv–2/7(16)05तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुंमाऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग–7
7. बजट राजकोषीय अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/–
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

संख्या–534/XV–2/(8)05

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
डेयरी विकास विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 24–10–2008

विषय :– मिनिस्टिीरियल संवर्ग के ढांचे के पुर्नगठन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के ज्ञाप संख्या–73/डेरी/2004/2(62)/2001 दिनांक 9–2–2004 के क्रम में डेयरी विकास विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अनुसचिवीय अधिष्ठान के पदों का निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर विभाजन किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	प्रशासनिक अधि0(ग्रेड–1)	5500–9000	01
2.	प्रशासनिक अधि0(ग्रेड–11)	5000–8000	02
3.	मुख्य सहायक	4500–7000	07
4.	प्रवर सहायक	4000–6000	09
5.	कनि0सहा0	3050–4590	10
	योग–		**29**

2– उपरोक्तानुसार पदों का का नाम व वेतनमान का संशोधन संगत सेवानियमों में तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1249 /XXVii(7)/2008 दिनांक 01 अक्टूबर 2008 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

ह/–

(अमरेन्द्र सिन्हा)

सचिव

सख्या–534/XV–2(8)05,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, डेरी विकास, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3– वरि0 कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– दुग्ध आयुक्त, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– वित्त विभाग–4 एवं 7/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, दुग्ध मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
7– निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी को गजट में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 100 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0/

(जी0बी0ओली)

संयुक्त सचिव

पत्रांक 7028 / नि0ले0ह0 / 14(4) / टीसी0 / iv / 2008

प्रेषक,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मीरोड,डालनवाला, देहरादून

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी(नैनीताल)।

दिनांक 16 सितम्बर, 2008

विषयः– लेखाकरों / ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की राज्य स्तर पर पारस्परिक ज्येष्ठता के संवध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में उप निदेशक डेरी विकास,उत्तराखण्ड नोडल कार्यालय श्रीनगर गढ़वाल के पत्र संख्या 529–31/दिनांक 22 अगस्त,2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यह पत्र आपको सम्बोधित एवं इस निदेशालय को पृष्ठांकित है। इस पत्र के साथ आपके विभाग के श्री अजय कुमार गुप्ता, लेखाकार की शासन को उचित माध्यम से प्रेषित अपील की प्रतिलिपि प्राप्त हुयी है। श्री गुप्ता ने इस निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5891/नि0ले0ह0/14(4)–11/ज्येष्ठता/2008 दिनांक 24 जून, 2008 द्वारा निर्गत विभागीय लेखाकारों /ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की पारस्परिक अंतिम कोटिक्रम सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने पर उक्त अपील प्रेषित की है। यद्यापि अपील पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है। फिर भी यह आवश्यक है कि सम्बन्धित के विभागाध्यक्ष को अंतिम कोटिक्रम सूची के संदर्भ में की गयी कार्यवाही एवं सही तथ्यों की जानकारी दी जाय।

डेरी विकास विभाग के विभागाध्यक्ष के स्तर से प्राप्त अभिलेखों एवं सूचना के आधार पर श्री अजय कुमार गुप्ता व श्री जगदीश चन्द्र दुर्गापाल, लेखाकारों का नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 67 व 68 पर रखा गया था। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में डेरी विकास विभाग के ही श्री शीश राम, लेखाकार ने अपनी आपत्तियॉ प्रमुख सचिव वित्त को प्रेषित करते हुए इसकी प्रति मय संलग्नकों के इस निदेशालय को प्रेषित की गयी **(संलग्नक–''क'')**। प्रत्यावेदन व इसमें संलग्न किये गये अभिलेखों से विदित हुआ कि श्री गुप्ता व श्री दुर्गापाल को 80:20 के सिद्वान्त पर प्रतिस्थापित पदनाम एवं वेतनमान का लाभ पूर्वगामी तिथि दिनांक 22–06–1997 से प्रदत हुआ है।

डेरी विकास विभाग के शासनादेश संख्या 73/डेरी/2004/2(2)/2001, दिनांक 09–02–2004 से स्पष्ट है कि इससे पूर्व डेरी विकास विभाग में लेखाकार के पद सृजित नहीं थे। दिनांक 09–02–2004 को निर्गत उक्त पुर्नगठन ढांचे में लेखाकार के पद सृजित किये गये। डेरी विकास विभाग से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या 28/XV/डेरी/2004, दिनांक 21 मई, 2004 में भी स्पष्ट किया गया कि जिन सहायक लेखाकारों को 80:20 की सुविधा प्रदान करते हुए पद एवं वेतनमान प्रतिस्थापित किया गया है,को शासनादेश संख्या 09–02–2004 द्वारा सृजित 02 लेखाकारों के पदों से भरा हुआ नही माना जायेगा। शासनादेश संख्या 181/XV–1/डेरी/2005, दिनांक 31 मार्च, 2005 द्वारा विभाग में लेखा संवर्ग के पदों को एकीकृत करते हुए प्रथमबार 80:20 के सिद्वान्त पर पदों की वास्तविक रूप से स्वीकृत प्रदान हुयी है। स्वतः स्पष्ट है कि पदों के सृजन से पूर्व तथा विभाग में 80:20 की सुविधा शासन से अनुमन्य होने के पूर्व सम्बन्धित कर्मियों को दिनांक 22–06–1997 से लेखाकार के पद मौलिक नियुक्त सम्भव नही है। यह इससे भी स्वतः स्पष्ट है कि विभागीय अपर सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 69/लेखा/ 20:80/डेरी/2005 दिनांक 18 जून, 2005 के प्रस्तर–2 में यह उल्लेख किया गया है कि पदोन्नति के आदेश निर्गत होने की तिथि से यह लेखाकार नियमानुसार समस्त सुविधायें पाने के पात्र होगें। 80:20 के आधार पर सुविधा किये हुए लेखाकारों की वरिष्ठता के संदर्भ में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर–प्रदेश के शासन ने शासनादेश संख्या एस–3–1228/दस–2000, दिनांक 26 मई, 2000 **(संलग्नक–''ख'')** निर्गत हुआ है। इसमें वरिष्ठता के निर्धारण के लिये जो व्यवस्था दी गयी है, उसके आधार पर सम्बन्धित कार्मिको को 80:20 के आधार पर जिस तिथि से लेखाकार के पद एवं वेतनमान का लाभ दिया गया है, उस

तिथि से उनकी वरिष्ठता निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सम्बन्धित कर्मियों की मौलिक पदोन्नति का आदेश 24 अगस्त, 2005 को निर्गत हुआ है। उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली के नियम–5 (एक) के अधीन सम्बन्धितों द्वारा लेखाकार के पद पर इस तिथि से आगामी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रदेश स्तर की ज्येष्ठता सूची में उनका नाम सम्मिलित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

कृपया उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों व शासनादेशों के संदर्भ में इस निदेशालय द्वारा ज्येष्ठता के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित लेखाकारों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/
(एल0एन0पंत)
अपर निदेशक

पृ0प0सं0 व दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, वित्त, अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन ।
2. उप निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, श्रीनगर।

ह0/
(एल0एन0पंत)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–2
संख्या–219/XV-2/2008
देहरादूनः दिनांक 27 फरवरी, 2008
अधिसूचना
आदेश

उत्तराखएड सहकारी समिति अधिनियम–2003(उत्तरांचल अधिनियम संख्या–05, वर्ष–2003 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा–3 की उपधारा–(2) के खण्ड (अ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये और पूर्व अधिसूचना संख्या–249/xiv-1/दुग्ध/2005 दिनांक 19.07.2005 को संशोधित करते हुये, श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली–2004 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के उपबंन्धों के अधीन रहते हुये, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनायी

गयी नियमावली के अधीन निबंधक की निम्नवत् शक्तियां प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा।

01. निदेशक, डेयरी विकास उत्तराखण्ड का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, ऐसे वर्ग या वर्गो, प्रकार या प्रकारों की जनपदीय दुग्ध सहकारी संघों एवं उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा–3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16(क), 16 (ख), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25, 26, 28, 39 ,14 ,42 ,43, 44, 45 ,46, 47, 48, 49, 50, 51, 25, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 52, 63, 72, 63, 74, 75, 76, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 105, 106, 107 ,108 ,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 159, 160 तथा 161 एवं तत्सम्बंधी नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियों को प्रयोग करेगा।

02. प्रबंधक निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन, का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे वर्ग या वर्गो या प्रकार या प्रकारों की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां एवं जनपदीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों तथा उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन के सम्बंध में उक्त अधिनियम तथा तत्सम्बंधी नियमावली के अधीन निबंधक की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, प्रतिबंध यह होगा कि उसके द्वारा अधिनियम की धारा –3, 15, 16, 16(क), 16(ख) 64, 73, 74, एवं 74(ख) की शक्तियों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

03. निदेशक, डेयरी विकास के अधीन उसके मुख्यालय अथवा कुमायूँ/गढ़वाल मंडल स्तर पर तत्समय उप निदेशक का पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, ऐसे वर्ग या वर्गो या प्रकार या प्रकारों की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के सम्बंध में, जिन्हें निदेशक के आदेश से ऐसे अधिकारी के प्रभार में रखा गया जाय, उक्त अधिनियम और तत्सम्बंधी नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा, प्रतिबंध यह होगा कि उसके द्वारा उक्त अधियिम की धारा –12, 13, 14, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 93, 94, 95, 98, 99(क), 99(ख), 99(ग), 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 121, 122, 122(क), 123, 124, 125, एवं 126 की शक्तियों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

04. निदेशक, डेयरी विकास के अधीन जनपदीय मुख्यालयों पर तत्समय तैनात सहायक निदेशक, तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, ऐसे वर्ग या वर्गो या प्रकार या प्रकारों की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा 6, 25, 26, 55, 57, 85, 99, 100, 101, 115, एवं 125 एवं तत्सम्बंधी नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

05. किसी जनपद के मजिस्ट्रेट का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारी किसी समिति की प्रबंध कमेटी के गठन या शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति से भिन्न किसी दुग्ध सहकारी समिति जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बंधित विवाद के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा–70, 71 और 98 एवं तत्सम्बंधी नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(क) जनपद मजिस्ट्रेट विवाद का विनिश्चय स्वंय कर सकता है या अपने अधीन कार्यरत अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा परगना मजिस्ट्रेट में से किसी एक को यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

आज्ञा से
ह0/
(अमरेन्द्र सिन्हा,)
सचिव,

संख्या–219 (1)/XV-2/2008 दिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।

02. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
03. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल)।
04. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
06. निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
07. निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड।
08. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)।
09. समस्त उप/सहायक निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय फोटों लिथो प्रेस रूड़की को अग्रेजी प्रति सहित इस आशय से कि वह इस अधिसूचना की 200 प्रतियां असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, महिला डेरी विकास, उत्तराखण्ड, जाखन देवी, माल रोड़ अल्मोड़ा।
13. समस्त प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक, दुग्ध संघ लि0, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
हस्ता0/–
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–2 खण्ड(क)
(उत्तराखण्ड अध्यादेश)
देहरादून, सोमवार,22 अक्टूबर, 2007 ई0
आश्विन 30,1929 शक संम्बत्
उत्तराखण्ड शासन
विधायी विभाग
संख्या–1166/xxxvi(4)/2007
देहरादून, 22 अक्टूबर, 2007
अधिसूचना विविध

''भारत का संविधान'' के अनुछेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 पर दिनांक 18 अक्टूबर, 2007को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0, 03 सन् 2007 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति(संशोधन अध्यादेश–2007)

(अध्यादेश संख्या–03,वर्ष–2007)

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम,2003का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

भारतीय गणराज्य के अठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड के राज्यपाल द्वारा स्थापितः–

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2007 ई0(आश्विन 30, 1929 शक सम्वत्

चूकि, विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितिया विद्यमान है निके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ।

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :–

1. (1) यह अध्यादेश उत्तराखण्ड सहकारी समिति संशोधन अध्यादेश, 2007 पढ़ा जायेगा ।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम,2003 की धारा 29 मे–

(क) उपधारा (2) में, शब्द**''पांच वर्ष''** के स्थान पर शब्द **''दो वर्ष''** रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा दो के पश्चात निम्नांकित परन्तु गढ़ा दिया जायेगा, अर्थात

''परन्तु किसी प्रबंध कमेटी का कार्यकाल जिसने इस अध्यादेश के दिनांक को या उउसे पूर्व अपने गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, तब उसके निर्वाचित सदस्यों को कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा'' ।

(ग) उपधारा (3) में क्रमशः शब्द **''चार माह''** एवं **''दो माह''** के स्थान पर क्रमशः शब्द **''दो माह''** तथा **''एक माह''** रख दिये जायेंगे ।

(घ) उपधारा (4) में श्शब्द **''चार माह''** के स्थान पर **''दो माह''** रख दिये जायेंगे।

सुदर्शन अग्रवाल,
राज्यपाल उत्तराखण्ड
आज्ञा से,
श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–2
संख्या–102 / XV–2 / 2007
देहरादून : दिनांक 30 मार्च 2007

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा दिनांक 4 व 5 अक्टूबर 2006 को आयोजित साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर दुग्ध विकास विभाग, उत्तराखण्ड में नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये निम्नलिखित अभर्थियों को सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान रूपया 8000–275–13500 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त कर नियमानुसार तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0 स0	लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत श्रेष्ठता क्रम	पिता का नाम/अभ्यर्थी का पता	गृह जनपद	प्रस्तावित तैनाती
1.	श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	श्री दयाल सिंह बिष्ट, पुरानी आबकारी, रानीखेत, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	पौड़ी गढ़वाल
2.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	श्री हीरा सिंह चौहान, कमोला, नैनीताल	नैनीताल	उत्तरकाशी
3.	श्री अभिनव नौटियाल	श्री राम नारायण नौटियाल, 3/829 LIC Phasse III आवास विकास कालौनी, झूंसी, इलाहाबाद, उ0प्र0	टिहरी गढ़वाल	बागेश्वर

2. उक्त अभ्यर्थियों की सेवायें उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा नियमावली, 1981 के उपबन्धों व तदविषयक संशोधनों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत होंगी तथा ऐसी समस्त सेवा शर्ते भी उन पर लागू होंगी जो समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

1. उक्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित वेतनमान के साथ साथ सहायक निदेशक के पद हेतु समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होगें।

2. उपरोक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगें। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक न होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अलग–2 मामलों में अलग–2 अभिलिखित किये जायेंगें, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।

3. उपरोक्त अभ्यर्थी निम्नलिखित सूचनायें/प्रमाण पत्र पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संबंधित जनपदों के अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने वाले सहायक निदेशक /उपनिदेशक, डेरी विकास विभाग को उपलब्ध कराते हुए उनसे कार्यभार प्राप्त करेंगें तथा वे संबंधित अधिकारियों की योगदान सूचनायें व अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध करायेगें। सहायक निदेशक, उत्तरकाशी के रूप में पदस्थापित करने वाले अभ्यर्थी सहायक निदेशक, देहरादून से सहायक निदेशक, पौढ़ी गढ़वाल के रूप में पदस्थापित किये जाने वाले अभ्यर्थी सहायक निदेशक,चमोली तथा सहायक निदेशक, बागेश्वर के रूप में पदस्थापित किये जाने वाले अभ्यर्थी उपनिदेशक, हल्द्वानी को अपनी योगदान सूचना उपलब्ध कराते हुए उनसे कार्यभार ग्रहण करेगें ।

(1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा।

(2) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
(3) एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।
(4) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हो ।
(5) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीन प्रमाण पत्र।

(6) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज की दो नवीनतम फोटोग्राफ।

(7) इण्डियन सिक्रेट्स एक्ट–1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(8) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/तकनीकी शिक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।

(9) क्रमांक–3 में अंकित अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में एक अन्डर टेकिंग की यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति अस्थाई कर्मचारी सेवा समाप्ति नियमावली 1975 के द्वारा निरस्त कर दी जायेगी। जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होगें ।

(10) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(11) अनुभव प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो तो।

6– अभ्यर्थी का चिकित्सीय परीक्षण संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कर स्वस्थता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। चिकित्सा परीक्षण में असफल होने पर उनकी यह नियुक्ति अस्थाई कर्मचारी सेवा समाप्ति नियमावली, 1975 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त कर दी जायेगी।

7– यदि उक्त निर्धारित तिथि तक कोई अभ्यर्थी योगदान करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तो यह समझ लिया जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है और उनका अभ्यर्थन शासन द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8– उक्त अभ्यर्थियों को प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्राप्त सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा ।

ह0/–

(डा0 रणवीर सिंह)

सचिव

संख्या– (1)/XV–2/2007–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव व आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी,पौड़ी गढ़वाल व बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक,दुग्ध विकास विभाग,हल्द्वानी,उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे इन अभ्यर्थियों के योगदान के उपरान्त प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल से समन्वय स्थापित कर सुंनिश्चित करवायें।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–1403/ 02/ डी0आर0/सेवा–2/2005–06 दिनांक 20 नवम्बर 2006 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
8. निदेशक, प्रशासन अकादमी,नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों के सम्बन्धित जनपदों में योगदान के उपरान्त प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी,पौड़ी गढ़वाल व बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
10. सहायक निदेशक,देहरादून/चमोली तथा उपनिदेशक, हल्द्वानी।
11. कोषाधिकारी, उत्तराकाशी,पौड़ी गढ़वाल व बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
12. कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/–
(जे0पी0जोशी)
उप सचिव

संख्या–128/लेखा 20:80/डेरी/2005

प्रेषक

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में

निदेशक,
डेरी विकास उत्तरांचल,
हल्द्वानी(नैनीताल)

पशुपालन,मत्स्य एवं डेरी अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2005

विषयः– नियम 20:80 के अन्तर्गत सहायक लेखाकारों को लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान में प्रतिस्थापित करने के बाद क्या माना जाय, के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–69/लेखा 20:80/डेरी/2005 दिनांक 16 जून 2005 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल हेतु सृजित सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों को जोड़ते हुए पदों की संख्या को 20:80 के अनुपात में रखा जायेगा तथा यह पद अपने में मौलिक पद माने जायेगें।

शासनादेश संख्या–69 दिनांक 16 जून 2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें।

भवदीय,
ह0/–
(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
गन्ना,चीनी एवं सहकारिता अनुभाग–1
संख्या–249/xiv-1/2005
देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई,2005
अधिसूचना
आदेश

राज्यपाल, उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम–2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–05, वर्ष–2003) (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा–3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खण्ड (अ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व अधिसूचना संख्या–सी0–1052/xii/दुग्ध/बन एवं ग्राम्य विकास/2001, देहरादून 31 अगस्त, 2001को अधिक्रान्त करते हुये अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियम, उत्तरांचल सहकारी समिति

अधिनियम–2004 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के उपबंन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियां निम्नवृत प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा।

(1) निदेशक, डेयरी विकास उत्तरांचल का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, ऐसे वर्ग या वर्गो या प्रकार या प्रकारों की दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) निदेशक, डेरी विकास, उत्तरांचल के मुख्यावास पर तत्समय उप निदेशक का पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, ऐसे वर्ग या वर्गो या प्रकार या प्रकारों की दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में जिन्हें निदेशक, डेरी विकास के आदेश से ऐसे अधिकारी के प्रभार में रखा गया जाय, उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियों को प्रयोग करेगा।
परन्तु उपनिदेशक, शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति या केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा–14 की उपधारा(1) व (2), 16(क) और 16(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा और वह उक्त किसी केन्द्रीय व शीर्ष दुग्ध समिति के सम्बंध में उक्त नियमावली के नियम संख्या–140, 141, और 142 के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(3) किसी जनपद के जनपद मजिस्ट्रेट का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारी किसी समिति के प्रबंध कमेटी का गठन या शीर्श सहकारी समिति से भिन्न किसी दुग्ध सहकारी समिति के जिसका मुख्यालय, उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बंधित विवाद के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा–70, 71 और 98 के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) सहायक निदेशक का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारीः

(क) शीर्श दुग्ध सहकारी समिति से भिन्न सभी दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, उक्त अधिनियम की धारा–32, 33, 37, 65, 66 की उपधारा–(1),67, 69 और 103 और नियमावली के नियम–100, 151 तथा 308 के अधीन,

(ख) सभी दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, उक्त अधिनियम की धारा–43ग, 70, 71,98, तथा 109 और नियमावली के नियम–333, 352, 353, 357, 386, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 399 और नियम 450 के अधीन, और

(ग) केवल प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, उक्त अधिनियम की धारा–27, 29, 31, 65, 68, 74, 91, 92, 125 और नियमावली के नियम–42, 43, 55, 56, 57, 86, 93, 106, 107, 140, 141, 170, 179, 199, 231, 232, 233, 242, 252, 426, 427 के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) धारा–98 कीक उपधारा–(3)के अधीन किये गये किसी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अधिनियम की धारा –98 की उपधारा–(2) के खण्ड (ख) के अधीन निबंधक की अपील सुनने की शक्तियों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(क) धारा–98 की उपधारा(1) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किसी अभिनिर्णय की स्थिति में वह अधिकारी (जिसमें उसका उत्तराधिकारी भी है) जिसके द्वारा यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल नियुक्त किया गया हो, शक्तियों का प्रयोग करेगा,

(ख) धारा–98 की उपधारा–(1) के खण्ड (ग) में निर्दिश्ट किसी निर्णय की स्थिति में,

(प) मुख्यालय का उप निदेशक ऐसी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति से सम्बंधित विवाद में जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ii) जनपद का सहायक निदेशक ऐसी प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समिति से सम्बंधित विवाद की स्थिति में, जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ग) धारा–98 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में निर्दिश्ट किसी आदेश की स्थितिमें मुख्यालय का उपनिदेशक, जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समिति का मुख्यालय स्थित हो, शक्तियों का प्रयोग करेगा, यदि दुग्ध सहकारी समिति का परिसमापक, धारा–74 की उपधारा (2) के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले सहायक निदेशक के नियंत्रण के अध्याधीन हो।

(6) धारा–70 और 71 के अधीन शक्तियों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(1) जहां विवाद या सम्पत्ति या धनराशि के दाव से सम्बंधित हो, वहां निर्देश–

(क) यदि विवाद में अतंग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि, पचास हजार रूपये से अधिक न हो तो सहायक निदेशक को किया जायेगा,परन्तु जहां विवाद एक ही मण्डल की एक से अधिक जनपदों की दो या अधिक दुग्ध सहकारी समितियों के बीच हो, वहां उक्त उपनिदेशक मुख्यालय को किया जायेगा। परन्तु यह और कि जहां ऐसा विवाद एक ही मण्डल की उसकी अधिकारिता क्षेत्र से परे एक से अधिक जनपदों की दुग्ध सहकारी समितियों के मध्य है वहां निर्देश मुख्यालय में तैनात ऐसे उपनिदेशक को किया जायेगा जो निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करता हो।

परन्तु यह भी कि यदि विवाद एक से अधिक दुग्ध सहकारी समितियों के मध्य हो तो ऐसी समितियां एस मण्डल के क्षेत्राधिकार के बाहर हो तो निर्देश निदेशक को किया जायेगा।

(ख) यदि विवाद में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रूपये से अधिक, किन्तु एक लाख पचास हजार रूपये से कम हो तो मुख्यालय के उपनिदेशक को किया जायेगा ।

परन्तु जहां विवाद दो या दो से अधिक दुग्ध समितियों के मध्य हों जो भिन्न मंडलों के विभिन्न जनपदों से सम्बंधित हो वहां निर्देश, निदेशक को किया जायेगा।

(ग) यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि, एक लाख पचास हजसर रूपये से अधिक हो तो निदेशक को किया जायेगा।

(ii) जहां विवाद प्रबंध कमेटी के गठन या दुग्ध सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बंधित हो, वाह निर्देशः

(क) शीर्श दुग्ध सहकारी समिति की स्थिति में, निदेशक को किया जायेगा।

(ख) शीर्श दुग्ध सहकारी समिति से भिन्न किसी सहकारी समिति की स्थिति में, उस जनपद की, जिसकी समिति हो, जनपद मजिस्ट्रेट को किया जायेगा।

(iii) जहां विवाद इस अधिनियम के पैरा (6) के उपपैरा(i) या (ii) के अधीन न आने वाली किसी मामले के सम्बंध में हो, वहां मुख्यालय के उपनिदेशक को किया जायेगा,परन्तु जहां यह कि जहां विवाद दो या दो से अधिक दुग्ध समितियों के मुध्य हो जो भिन्न मण्डलों के विभिन्न जनपदों से सम्बंधित हा, वहां निर्देश निदेशक को किया जायेगा।

इस अधिसूचना के पैरा–(6)के उप पैरा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर :

(क) सहायक निदेशक, विवाद का विनिश्चय स्वंय कर सकता है या यथा स्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल को इस शर्त के अध्याधीन नियुक्त कर सकता है कि जहां विवाद में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रूपये से अधीक न हो वहॉ यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष उस श्रेणी को होगा जो वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पद से नीचे का न हो या ऐसा व्यक्ति होगा, जो वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पद से सेवा निवृत्त हुए हों।

(ख) मुख्यालय का उप निदेशक विवाद का विनिश्चय स्वंय कर सकता है या यथास्थिति, किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है, जो राज्य सरकार के द्वितीय वर्ग के राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवा निवृत्त हुआ हो।

(ग) निदेशक विवाद का विनिश्चय स्वंय कर सकता है या यथास्थिति, किसी मध्यस्थया मध्यस्थ मण्डलके अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है, जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो या जो राजय सरकार के प्रथम वर्ग के राजत्रित अधिकारी के पद से सेवा निवृत्त हुआ हो।

परन्तु यह कि जहां विवाद इस अधिसूचना के पैरा (6)के उप पैरा(पप) के अधीन आता हो, वहां यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल का अध्यक्ष उस विवद से सम्बंधित शीर्श दुग्ध सहकारी समिति के पर्यवेक्षण या प्रशासन से सम्बंधित डेरी विकास विभाग का अधिकारी न होगा।

(घ) जनपद मजिस्ट्रेट विाद का विनिश्चय स्वयं कर सकता है या अपने अधीन परगना मजिस्ट्रेट में स किसी एक को यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

आज्ञा से
ह0/–
(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव,

संख्या–249/xiv-1/2005 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
02. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
03. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल)।
04. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
05. निबंधक दुग्ध सहकारी समितियां उत्तरांचल।
06. निदेशक, दुग्ध विकास उत्तरांचल।
07. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
08. उप निदेशक, राजकीय फोटों लिथो प्रेस रूड़की को अग्रेजी प्रति सहित इस आशय से कि वह इस अधिसूचना की 200 प्रतियां असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

09. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(एस0एस0डुंगरियाल)
अनुसचिव

संख्या–69/लेखा 20:80/डेरी/2005

प्रेषक

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में

निदेशक,
डेरी विकास उत्तरांचल,
हल्द्वानी(नैनीताल)

कैम्प–देहरादून

देहरादूनः दिनांकः 18 जून, 2005

विषयः– नियम 20:80 के अन्तर्गत सहायक लेखाकारों को लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान में प्रतिस्थापित करने के बाद क्या माना जाय, के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–442/स्था0लेखा 20:80/04–05 दिनांक 22 जुलाई 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल हेतु सृजित सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों को जोड़ते हुए पदों की संख्या को 20:80 के अनुपात में रखा जायेगा तथा यह पद अपने में मौलिक पद माने जायेगें। वर्तमान में विभाग हेतु सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के कुल सृजित पदों का 20 प्रतिशत सहायक लेखाकार तथा 80 प्रतिशत लेखाकार के मौलिक पदों को विभागीय चयन समिति में रखकर नियमानुसार पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही की जाय।

2–शासनादेश संख्या–73/डेरी/2004/2(02)/दिनांक 9 फरवरी 2004 द्वारा सृजित –02 लेखाकार के पदों को भरने के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में ही निर्देश दिये जा चुके हैं। पदोन्नति के आदेश निर्गत होने की तिथि से यह लेखाकार नियमानुसार समस्त सुविधायें पाने के लिए पात्र होगें। कृपया उपरोक्तानुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/–

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

संख्याः181/xv/डेरी/2005

प्रेषक,

दयमन्ती दोहरे,
अपर सचिव (डेरी),
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग उत्तरांचल,

हल्द्वानी(नैनीताल)।

पशुपालन,मतस्य एवं डेरी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2005

विषयः—नियम 80:20 प्रतिशत के अर्न्तगत श्री शीशराम,सहायक लेखाकार की लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान प्रतिस्थापित किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1810/स्था0/04—05 दिनांक 25—02—05 के क्रम में शासनादेश संख्या—73/डेरी/2004 दिनांक 9 फरवरी, 2004 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त शासनादेश दिनांक 9 फरवरी, 2004 द्वारा सृजित लेखाकार/सहायक लेखाकार पदों की कुल संख्या—05 के समक्ष श्री शीशराम, सहायक लेखाकार को लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान रू0 5000—150—8000 प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

डेरी विकास विभाग में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के कुल 05 पदो में 80:20 प्रतिशत के अर्न्तगत संलग्न विवरणानुसार लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2004 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

संलग्नकः—यथोपरि ।

भवदीया,
ह0/
(दयमन्ती दोहरे)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 181 / XV-1 / डेरी / 2005 दिनांक 31 मार्च, 2005

शासनादेश संख्या जिसके अन्तर्गत पद स्वीकृत हुए है	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
शासनादेश संख्या–73 / डेरी / 2004 दिनांक 09 फरवरी, 2004	1.सहायक लेखाकार 2. लेखाकार	4500–7000 5000–8000	03 02	सहायक लेखाकार एवं लेखाकार की सम्मिलित संख्या कुल पद 80 प्रतिशत के अनुसार 04 पद लेखाकार पदनाम से वेतनमान रू0 5000–8000 के होगें तथा 20 प्रतिशत के अनुसार 01 पद सहायक लेखाकार के पदनाम से वेतनमान रू0 4500–7000 का होगा।

टिप्पणीः–शासनादेश संख्या–181 / व0ग्रा0वि0 / डेरी / 2002 दिनांक 13 फरवरी, 2003 द्वारा पूर्व में नियमः– 80:20 प्रतिशत के अन्तर्गत 02 सहायक लेखाकारों को लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

संख्या–28/XV/डेरी/2004

प्रेषक

अनिल कुमार शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में

निदेशक,
डेरी विकास उत्तरांचल,
हल्द्वानी(नैनीताल)
कैम्प कार्यालय,देहरादून,

पशुपालन,मत्स्य एवं डेरी अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 25 मई, 2004

विषयः– शासनादेश दिनांक 09 फरवरी,2004 द्वारा सृजित लेखाकार के दो पदों को भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2514/स्था0ले0सं0/2003–04 दिनांक 19 मार्च 2004 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 09 फरवरी 2004 द्वारा सृजित 02(दो) लेखाकार के पद वेतनमान रू0 5000–8000 को भरे जाने के संबंध में शासन से जानकारी चाही गयी है।

शासनादेश संख्या–181/व.ग्रा.वि./डेरी/2002 दिनांक 13 फरवरी 2003 द्वारा डेरी विकास विभाग में जिन दो सहायक लेखाकारों को नियम 80:20 की सुविधा प्रदान करते हुए वेतनमान रू0 1400–2600 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5000–8000) प्रतिस्थापित किया गया है, को शासनादेश संख्या 73/डेरी/2004/2(02)/2001 दिनांक 09 फरवरी 2004 द्वारा सृजित दो लेखाकार के पद, वेतनमान रू0 5000–8000 को भरा हुआ नहीं माना जायेगा, कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरांचल शासन,
पशुपालन,मत्स्य एवं डेरी विकास अनुभाग
संख्या 73/डेरी/2004/2(62)/2001
देहरादूनः दिनांक 9 फरवरी, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में डेरी विकास कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तथा सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय डेरी विकास विभाग उत्तरांचल के पुर्नगठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है तथा डेरी विकास विभाग के निदेशालय, नोडल कार्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों हेतु इस शासनादेश के संलग्नक–01 एवं 02 में उल्लिखित विवरणानुसार पदों की स्वीकृति प्रदान करते है।

सलंग्नक–यथोपरि

ह0/
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–73(1)/डेरी/2004/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव0 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

1. निदेशक, डेरी विकास उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास उत्तरांचल।
3. समस्त उप निदेशक, डेरी विकास उत्तरांचल।
4. उपनिदेशक, नोडल कार्यालय, डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल, श्रीनगर गढ़वाल।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोशाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. निदेशक, महिला डेरी परियोजना उत्तरांचल अल्मोड़ा।
9. दुग्ध आयुक्त, डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
10. निदेशक, कोशागार एंव वित्त सेवाऐं, उत्तरांचल देहरादून।
11. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को गजट में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 200 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
13. वित्त अनुभाग–1 एवं 2 उत्तरांचल शासन।
14. कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
15. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
16. निजी सचिव, माननीय मंत्रीजी सहकारिता, पशुपालन मत्स्य एवं डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल।
17. गोपन (मंत्रिपरिशद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
18. अनुभाग अधिकारी, डेरी विकास उत्तरांचल शासन।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव

डेरी विकास निदेशालय एवं नोडल कार्यालय, डेरी विकास विभाग (उत्त0) हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

शासनादेश संख्या–73 / /डेरी /2004 दिनांक 9 फरवरी, 2004 का संलग्नक ।

1	नाम कार्यालय/जनपद	पदनाम	पदों का संख्या	वेतनमान
1.	**निदेशक, डेरी विकास विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)**	1. निदेशक (विभागाध्यक्ष)आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग	1	16400–20000
		2. संयुक्त निदेशक (विभागीय)	1	12000–16500
		3.उपनिदेशक	2	10000–15200
		4. सहायक डेरी प्राविधिक अभियन्ता (प्रति नियुक्ति पर)	1	8000–13500
		5. सहायक लेखा अधिकारी	1	6500–10500
		6. लेखाकार	1	5000–8000
		7. सहायक लेखाकार सह–कम्प्यूटर आ0	2	4500–7000
		8. वैयक्तिक सहायक	1	5500–9000
		9. मुख्य लिपिक	1	5000–8000
		10. वरिष्ठ सहायक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4500–7000
		11. वरिष्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	2	4000–6000
		12. कनिष्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	6	3050–4590
		13. आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4500–7000
		14. आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	3	4000–6000
		15. लेखालिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4000–6000
		16. अन्वेष्क–कम–संगणक	1	4500–7000
		17. चालक	5	3050–4590
		18. सहयोगी	8	2550–3200
		योग	**39**	
2.	**नोडल कार्यालय डेरी विकास विभाग उत्तरांचल श्रीनगर–पौढ़ी गढवाल**	1. उपनिदेशक	1	10000–15200
		2. लेखाकार	1	5000–8000
		3. सहायक लेखाकार–सह–कम्प्यूटर आपरेटर	1	4500–7000
		4. मुख्य लिपिक	1	5000–8000
		5. वरिष्ठ सहायक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4500–7000
		6. वरिष्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	2	4000–6000
		7. आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4000–6000
		8. कनिष्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	2	3050–4590
		9. चालक	1	3050–4590
		10.सहयोगी	2	2550–3200
		योग	**13**	
		कुल योग	**52**	

जनपदीय कार्यालयो हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

शासनादेश संख्या 73/ /डेरी/2004 दिनांक 9 फरवरी, 2004 का संलग्नक।

डेरी विकास विभाग उत्तरांचल,

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	देहरादून	हरिद्वार	नैनीताल	उ0सिं 0 न0	उत्तर काशी	टिहरी	पौड़ी	रूद्र प्रयाग	चमोली	पिथौरागढ	अल्मोडा	बगेश्वर	चम्पावत	योग
1.	सहायक निदेशक	8000–13500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
2.	वरिश्ठ दुग्ध निरीक्षक	5000–8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
3.	दुग्ध निरीक्षक	4500–7000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	**25**
4.	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	3200–4900	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	**50**
5.	लेखा लिपिक–सह –कम्प्यूटर आ0	4000–6000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
6.	कनिष्ठ लिपिक–सह –कम्प्यूटर आ0	3050–4590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
7.	चालक	3050–4590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
8.	सहयोगी	2550–3200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	योग		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**	**153**

संख्या–181 / ब.ग्रा.वि. / डेयरी / 2002

प्रेषक

अनिल कुमार शर्मा
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में

निदेशक,
डेरी विकास उत्तरांचल,
हल्द्वानी(नैनीताल)

पशुपालन,मत्स्य एवं डेरी अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 13 फरवरी, 2003

विषयः– समता समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल में विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1481 / 28–8–89–4(30–दु0) 88 दिनांक 28–7–90, शासनादेश संख्या–1471 / 28–8–90–4(8–दु0) 88 दिनांक 8–11–90 एवं शासनादेश संख्या–3848 / 28–8–87–4(6–दु0) 84 दिनांक 18–8–87, के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों हेतु गठित समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए बनाई गयी मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त शासनादेश दिनांक 28–7–90,8–11–90 एवं 18–8–87 के सम्मुख अंकित लेखाकार / सहायक लेखाकार पदनामों के सम्मुख अंकित की गयी प्रविष्टियों के स्थान पर इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लेखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 28–7–90,8–11–90 एवं 18–8–87 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–2234 / वि.अनु.–3 / 02 दिनांक 6–2–2003 में प्राप्त हुई उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
ह0 / –
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव

संख्या–181 / व.ग्रा.वि. / डेयरी / 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. सहायक निदेशक / उप निदेशक, डेरी विकास, उत्तरांचल पौडी, हल्द्वानी एवं देहरादून।
02. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / उत्तरांचल, देहरादून।
03. कोषाधिकारी, नैनीताल,पौडी एवं देहरादून।
04. वित्त वेतन ायोग, अनुभाग–3।
05. वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–1 / 2।
06. वित्त (सामान्य) अनुभाग–4।

07. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
08. निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण व्यूरो उत्तरांचल वित्त विभाग, सचिवालय, देहरादून।
09. दुग्ध आयुक्त, डेरी विकास उत्तरांचल, देहरादून।

ह0/–

(अनिल कुमार शर्मा)

अपर सचिव

शासनादेश संख्या–181 / व0ग्रा0वि0 / डेयरी / 2002 दिनांक 13–02–2003 का संलग्नक

शा0सं0 1481 दिनांक 28.07.90, 1471 दि0 08.11. 1990 एवं 3848 दि0 18.08.1987 का क्रम	पदनाम एवं सेवा	वर्तमान वेतनमान / समयमान वेतनमान	पदों की संख्या				पुनरीक्षित वेतनमान	अभ्युक्ति यदि कोई हो
			दि0 31.03.89		दि0 31.03.91			
			स्थाई	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई		
04	लेखाकार	1400–2300 / 1400–2600	–	–	–	01	1400–40–1800–द0रो0–50–2300	दिनांक 31–3–89 एवं 31–3–91 को लेखाकार के पदनाम से वेतनमान 1400–2600 में दो पद 80 प्रतिशत के अनुसार होगें एवं सहायक लेखाकार पदनाम से वेतनमान 1200–2040 में एक पद 20 प्रति0 के अनुसार होगें।
08	सहा0 लेखा0(मु0)	1200–2040 / 1400–2300	–	–	–	01	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	
07	सहा0लेखा 0 (मण्ड.)	470–735 / 620–820	–	01	–	–	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	

टिप्पणीः– उपर्युक्त पुनर्गठन के लेखा संवर्ग के पदों पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31–3–89 को एक पद एवं दिनांक 31–3–91 को दो पद, कुल पदों की संख्या 03 के 20 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत के आधार पर दिया गया है।

ह0 / –

(अनिल कुमार शर्मा)

अपर सचिव

संख्या–1488/53–2001–3(30)/96

प्रेषक,

श्री राम सहायक,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2001

विषयः–समता समिति, उत्तर प्रदेश(1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दुग्ध विकास में विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2265/12–दु0वि0–3(100)/88 दिनांक 29 जुलाई 1989 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों हेतु गठित समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए बनायी गयी मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 1989 के संलग्नक में क्रमांक 20, 24 एवं 30 के सम्मुख अंकित लेखाकार/सहायक लेखाकार पद नामों के सम्मुख अकित की गयी प्रविष्टियों के स्थान पर इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 1989 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–वे0आ0 2–463/X–2000, दिनांक 13 जुलाई 2001 में प्राप्त हुई उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
ह/–
(राम सहाय)
अनु सचिव।

संख्या–1488/53–2001,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2. वित्त वेतन आयोग,अनुभाग–1/2(तीन तीन प्रतियों में)।
3. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1/2।
4. वित्त(सामान्य) अनुभाग–1/2।
5. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो, उ0प्र0, वित्त विभाग, सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/–
(राम सहाय)
अनुसचिव

शासनादेश संख्या– 1488/53–2001–3(30)/96 दिनांक 19–07–2001 का संलग्नक

शा0सं0– 2265 दि0 29.07.89 के संलग्नक का क्रम	पदनाम एवं सेवा	वर्तमान वेतनमान/ समयमान वेतनमान (रू0)	पदों की संख्या				पुनरीक्षित वेतनमान	अभ्युक्ति यदि कोई हो
			दिनांक 1–1–86		दिनांक 31–3–89			
			स्थाई	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1.लेखाकार	570–1100	5	–	5	–	1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60–2600	दि0 01.01.1986 तथा 31.03.89 को सहायक लेखाकार के वेतनमान रू0 1200–2040 में क्रमशः 07 तथा 07 पद होंगें। इसी प्रकार 01.01.1986 तथा 31.03.1989 को लेखाकार के पदनाम से वेतनमान 1400–2600 में क्रमशः 29 तथा 30 पद होंगें।
	2. लागत सहायक	830–1190	1	–	1	–	(लेखाकार हेतु) 1200–30–1560–द0रो0–40–2040	
24	सहायक लेखाकार(मु0)	515–860 680–920	6	–	6	–		
30	सहायक लेखाकार (मण्डलीय एवं जिला स्तर)	470–735 620–820	1	23	1	24	(सहायक लेखाकार हेतु)	

टिप्पणी:– उपर्युक्त पुर्नगठन लेखा संवर्ग के पदों पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्देशानुसार दिनांक 1–1–86 तथा 31–03–1989 को संवर्ग के कुल पदों की संख्या क्रमशः 36 तथा 37 के 20 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत के आधार पर दिया गया है ।

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
डेयरी विकास विभाग
संख्या 60/व0ग्रा0वि0/डेयरी विकास
देहरादून दिनांक 28 जून 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में डेयरी विकास विभाग के पुनर्गठन विशयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 527/xii–62/वन एंव ग्राम्य विकास /2001 दिनांक 30–03–2001 के क्रम में श्री राज्यपाल डेयरी विकास विभाग की संरचना संलग्नक–1 के अनुसार तथा डेयरी विकास विभाग के निदेशालय एवं जनपदों में पदों की स्वीकृति संलग्नक–2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार किये जाने की सहज अनुमति प्रदान करते है।

संलग्नक– यथोपरि।

ह0/
(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव

संख्या 60/वन एवं ग्राम्य विकास/डेयरी/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. दुग्ध आयुक्त, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल।
2. निदेशक, डेयरी विकास, उत्तरांचल मगंल पड़ाव हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. निदेशक, महिला डेयरी विकास, उत्तरांचल अल्मोड़ा।
4. समस्त सहायक निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल।
5. समस्त उप–निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
10. महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, 5–ए, थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, हलाहाबाद।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
12. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कृषि एवं डेयरी विकास, उत्तरांचल शासन।
13. अनुभाग अधिकारी, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

ह0/
(डा0 आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
दुग्धशाला विकास विभाग का ढांचा

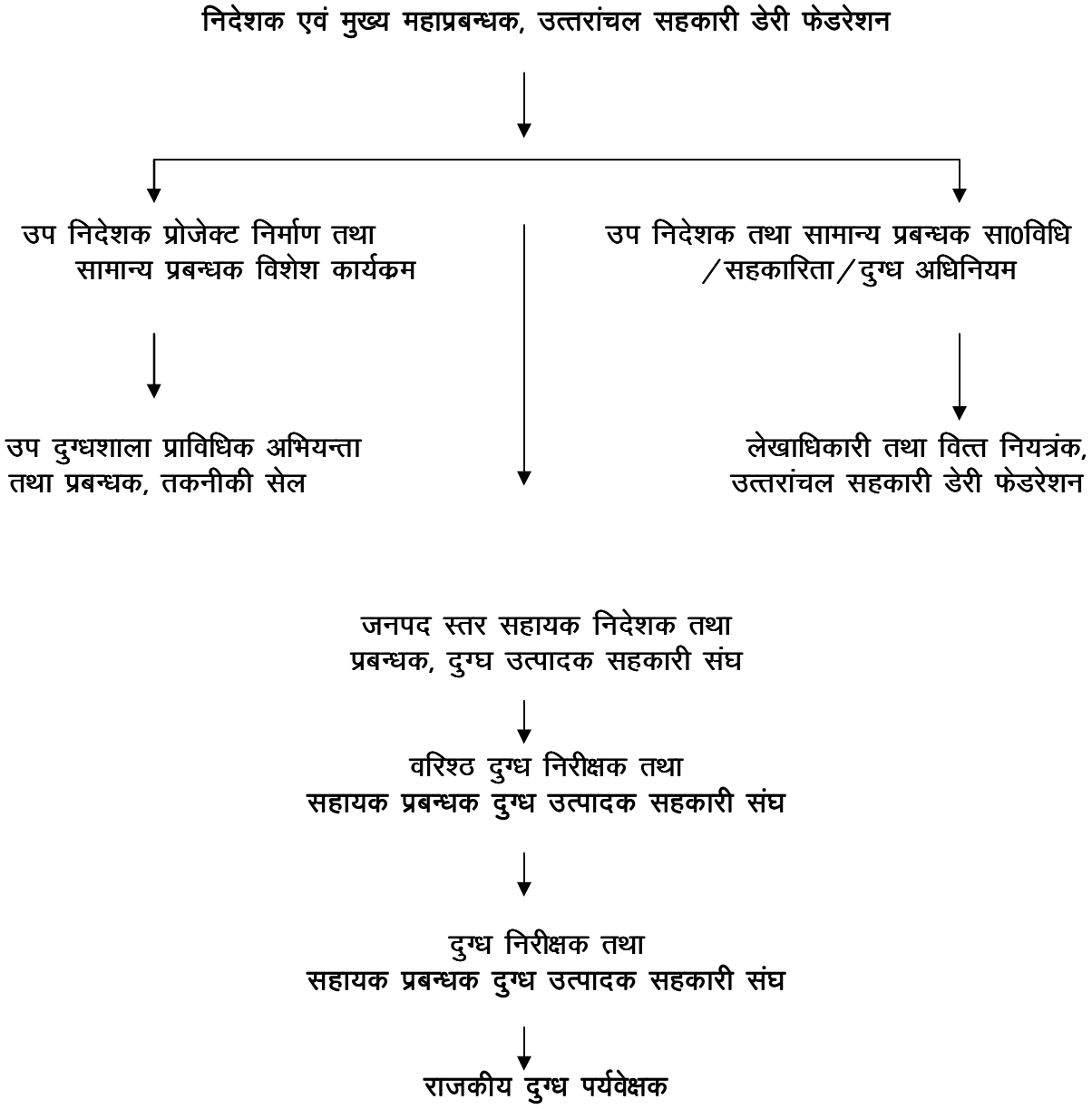

बन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराचंल शाखा
डेयरी विकास अनुभाग
शासनादेश संख्या–60 / व0ग्रा0वि0 / डेरी विकास देहरादूनः जून :28: 2001 का संलग्नक–2

क0स0	नाम जनपद	पदों का विवरण	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	निदेशालय,मंगलपड़ाव हल्द्वानी(नैनीताल)	1.उपनिदेशक	01	10000–15200
		2.वरिष्ठदुग्ध निरीक्षक	01	5000–8000
		3.अन्वेषक कम संगणक	01	4500–7000
		4.आशुलिपिक	02	4000–6000
		5.वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
		6.वरिष्ठ लिपिक	03	4000–6000
		7.सहायक लेखाकार	01	4000–6000
		8.कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
		9.चालक	07	3050–4590
		10.सहयोगी	05	2550–3200
		योग	**23**	
1.1	नोडल कार्यालय,श्रीनगर गढ़वाल	1.आशुलिपिक	01	4000–6000
		2.वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
		3.सहायक लेखाकार	01	4000–6000
		4.चालक	01	3050–4590
		10.सहयोगी	01	2550–3200
		योग	**05**	
2.	पिथौरागढ़	1.सहायकनिदेशक	01	8000–13500
		2.वरि0दुग्ध निरीक्षक	01	5000–8000
		3.राज0दुग्ध पर्यवेक्षक	05	3200–4900
		4. कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
		5. चालक	01	3050–4590
		6. सहयोगी	01	2550–3200
		योग	**10**	
3.	अल्मोड़ा	1.वरि0दुग्ध निरीक्षक	01	5000–8000
		2. लेखा लिपिक	01	4000–6000
		3. रा0दु0पर्य0	08	3200–4900
		4. कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
		5. चालक	01	3050–4590
		6. सहयोगी	02	2550–3200
		योग	**14**	
4.	चम्पावत	1.वरि0दुग्ध निरीक्षक	01	5000–8000
		2. रा0दु0पर्य0	04	3200–4900

		3. चालक 4. सहयोगी	01 01	3050–4590 2550–3200
		योग	**07**	
5.	वागेश्वर	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. रा0दु0पर्य0 3. सहयोगी	01 04 01	5000–8000 3200–4900 2550–3200
		योग	**06**	
6.	नैनीताल	1.वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. लेखा लिपिक 3. रा0दु0पर्य0 4. कनिष्ठ लिपिक 5. चालक 6. सहयोगी	01 01 05 01 01 02	5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	**11**	
7.	उधमसिंहनगर	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. रा0दु0पर्य0 3. सहयोगी	01 04 01	5000–8000 3200–4900 2550–3200
		योग	**06**	
8.	चमोली	1. सहायक निदेशक 2. वरि0दुग्ध निरीक्षक 3. लेखालिपिक 4. राज0दुग्ध पर्यवेक्षक 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चालक 7. सहयोगी	01 01 01 07 01 01 02	8000–13500 5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	**14**	
9.	रूद्रप्रयाग	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. रा0दु0पर्य0 3. सहयोगी	01 04 01	5000–8000 3200–4900 2550–3200
		योग	**06**	
10.	पौड़ी गढ़वाल	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. लेखा लिपिक 3. रा0दु0पर्य0 4. कनिष्ठ लिपिक 5. चालक 6. सहयोगी	01 01 07 01 01 01	5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	**12**	

11.	टिहरी गढ़वाल	1. सहायक निदेशक 2. वरि0दुग्ध निरीक्षक 3. लेखा लिपिक 4. रा0दु0पर्य0 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चालक 7. सहयोगी	01 01 01 07 01 01 02	8000—13500 5000—8000 4000—6000 3200—4900 3050—4590 3050—4590 2550—3200
		योग	**14**	
12.	उत्तरकाशी	1. सहायक निदेशक 2. वरि0दुग्ध निरीक्षक 3. लेखा लिपिक 4. रा0दु0पर्य0 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चालक 7. सहयोगी	01 01 01 07 01 01 01	8000—13500 5000—8000 4000—6000 3200—4900 3050—4590 3050—4590 2550—3200
		योग	**13**	
13.	देहरादून	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. लेखा लिपिक 3. रा0दु0पर्य0 4. कनिष्ठ लिपिक 5. सहयोगी	01 01 05 01 01	5000—8000 4000—6000 3200—4900 3050—4590 2550—3200
		योग	**09**	
14.	हरिद्वार	1. रा0दु0पर्य0	04	3200—4900
		योग	**04**	
		कुल योग	**154**	

ह/—

(आर0एस0टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरांचल शासन, देहरादून
दुग्ध विकास अनुभाग
संख्या 527/xii–62/व0 एंव ग्रा0वि0 /2001
देहरादून दिनांक मार्च 30, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में दुग्ध विकास कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तथा सुसंगत करने और उसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु वर्तमान मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी कार्यालयों को पुर्नगठित करते हुए श्री राज्यपाल डेरी विकास निदेशालय उत्तरांचल के गठन की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है। जिसका मुख्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

2. उक्त निदेशालय के गठन स्थापना के साथ ही निम्नलिखित पदों को उनके सम्मुख अंकित पदनाम में परिवर्तित किये जाने की भी अनुमति प्रदान करते है।

क्र0 सं0	वर्तमान पदनाम	परिवर्तित राजकीय पदनाम	उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन/दुग्ध संघों में पदेन पदनाम
1.		दुग्ध आयुक्त (पदेन)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन
2.	मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास	निदेशक, डेरी विकास	मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन
3.	दुग्धशाला विकास अधिकारी	उप निदेशक	सामान्य प्रबन्धक
4.	उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	सहायक निदेशक	प्रबन्धक
5.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	–	उप प्रबन्धक
6.	दुग्ध निरीक्षक	–	सहायक प्रबन्धक
7.	लेखाधिकारी	–	वित्त नियन्त्रक
8.	उप दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता	–	प्रबन्धक तकनीकी संघ

निदेशक, डेरी विकास को फाइनेंसियल हैण्डबुक माड्यूल एक, दो **(खण्ड दो से चार)** तीन तथा पांच एवं जी0पी0एफ0 रूल्स में उल्लिखित संगत नियमों के प्रयोजनार्थ विभागध्यक्ष तथा बजट मैनुअल के प्रयोगनार्थ विभाग को बजट नियंत्रक अधिकारी और और विभाग/अधिष्ठान के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है।

ह0/–
(डा0 आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन, देहरादून

संख्या 527(1)/xii–62/वन एंव ग्राम्य विकास/2001

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. दुग्ध आयुक्त, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल।
2. मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल, श्रीनगर (गढ़वाल)।
3. निदशक, महिला डेयरी विकास, उत्तरांचल अल्मोड़ा।
4. समस्त प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तरांचल।
5. समस्त उप–दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला प्रबन्धक, उत्तरांचल।
6. समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराचल।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
11. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल शासन।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एंव लेखन सामग्री, रूड़की की गजट में प्रकाशनार्थ तथा उक्त की 200 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
13. महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
14. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन
15. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी कृषि एवं डेरी विकास, उत्तरांचल शासन।
16. अनुभाग अधिकारी, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

ह0/
(डा0 पी0एस0 गुसांई)
अपर सचिव

संख्याः एस–3–1228/दस–2000

प्रेषक,

श्री ए0पी0वर्मा,
अनुसचिव,
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 26 मई, 2000**

विषयः– लेखा संवर्ग में 80:20 का अनुपात लागू किये जाने से सीधी भर्ती के अर्न्तगत नियुक्त लेखाकारों को वरिष्ठता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5572/को0नि0/अ0नि0कैम्प/1997–98 दिनांक 10.12.98 व पत्र संख्याः 140/को0नि0/नि0कैम्प दिनांक 8 जनवरी,99 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समता समिति उत्तर–प्रदेश,1989 की संस्तुतियों पर गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये निर्णयानुसार विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में, जहां लेखा व आडिट के संवर्ग विधिवत गठित हैं,में 1–1–86 से 31–3–89 तक पदों का विभाजन 80:20 के अनुपात के आधार पर किया गया है। इस विभाजन में लेखाकार तथा वरिष्ठ सम्प्रेक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिये सम्बन्धित सेवा नियमावली के प्राविधान लागू रखे गये है,अथवा सामान्य रूप से जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाना है। अतः उक्त सजृन के फलस्वरूप विभागों में 1–1–86 से लेखाकार, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक के पदों पर पदधारकों की मौलिक नियुक्ति/तैनाती संगत सेवा नियमावली के अनुसार की जानी है, परिणामतः ऐसे पदधारकों की ज्येष्ठता भी उन्ही सेवा नियमावली के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होगी। इस प्रकार 80:20 के अनुपात के आधार पर व्यवस्थिति करने पर सम्बन्धित कर्मी स्वयमेव नये पद के धारक नही हो जायेगें अपितु संगत सेवा नियमावली में निर्धारित प्रकिया के अनुसार उक्त पद उनकी मौलिक नियुक्ति भी आवश्यक होगी। यह किन्ही भी परिस्थितियों में पूर्णगामी तिथि से नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त वे0आ0–1 के शासनादेश दिनांक 30–12–96 के साथ पठित शासनादेश दिनांक 03.06.90 में पदो के 80:20 के अनुपात में विभाजन के फलस्वरूप लेखाकार, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक के पदों पर तैनात होने वाले पदधारकों

के वेतन निर्धारण हेतु इन पदों को स्थानापन्न पद माने जाने के ही आदेश है। इन पदों पर मौलिक नियुक्ति/तैनाती संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही होगी तथा ऐसे पद धारकों की ज्येष्ठता भी उसी सेवा नियमावली के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही निर्धारित होगी।

इस प्रकार लेखा संवर्ग में 80:20 के लाभार्थियों व सीधी भर्ती के लेखाकारों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही किया जाना है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रश्नगत मामले में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

ह0/–
(ए0पी0वर्मा)
अनुसचिव।

निदेशालय कोषागार,उत्तर–प्रदेश,
1018–जवाहर भवन, लखनऊ

पत्र संख्याः1243/21(225)/96/को0नि0/स्था0, दिनांक 13 जून, 2000

प्रतिलिपि : समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर–प्रदेश तथा भुगतान एवं लेखाधिकारी, उत्तर–प्रदेश शासन उ0प्र0भवन,नई–दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन कराई से किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि उक्त शासनादेश के अनुपालन के उपरान्त आप द्वारा प्रेषित सहायक लेखाकारों /लेखाकारो की वरिष्ठता सूची में कोई परिवर्तन होता है तो दिनांक 15–7–2000 तक अवश्यमेव अवगत कराने का कष्ट करें।

1. प्रतिलिपि समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/–
(श्रीकान्त सिन्हा)
निदेशक

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन
डेरी विकास विभाग,
संख्या–सी0–1052/xii दुग्ध/व0एवं ग्राम्य विकास/2001
देहरादूनः दिनांक 31 अगस्त, 2001

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम–1965(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–11,1966) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियम, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली–1968 के (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) उपबन्धों के अधीन रहते हुये उक्त अधिनियम के अधीन निबंधक की शक्तियां प्रदान करते है, जिसका प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा।

01. निदेशक, डेयरी विकास उत्तरांचल का तत्समय पद धारण करने वाला कोइ अधिकारी ऐसे वर्ग या वर्गो या प्रकार या प्रकारों की दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

02. निदेशक, डेयरी विकास उत्तरांचल मुख्यालय पर तत्समय उप निदेशक का पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, जिसे निदेशक के आदेश से ऐसे अधिकारी, के प्रभार में रखा जाय, ऐसे वर्ग या वर्गो या प्रकार या प्रकारों की दुग्ध समितियों के सम्बंध में उक्त अधिनियम और नियमावली के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

परन्तु उक्त उपनिदेशक, शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति या केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा–14, 125 और 126 के अधीन और नियमावली के नियम संख्या–30, 31, 32, और 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग नही करेगा और वह किसी शीर्ष दुग्ध समिति के सम्बंध में नियमावली के नियम–124, 125, 126 के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(3) किसी जनपद का जिलामजिस्ट्रेट का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारी प्रबंध कमेटी के गठन या शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति से भिन्न किसी दुग्ध सहकारी समिति के, जिसका मुख्यालय जिले में हो, किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बंधित विवाद के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा–70, 71 और 98 के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) सहायक निदेशक का तत्समय पद धारण करने वाला कोई अधिकारीः–

(क) शीर्ष दुग्ध सहकारी समितियों से भिन्न सभी दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में जिनका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, उक्त अधिनियम की धारा–32, 33, 37, 66, 67, 69 और 103 और नियमावली के नियम संख्या–140, 134 तथा 287 के अधीन,

(ख) सभी दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में, जिनका मुख्यालय उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में हो, उक्त अधिनियम की धारा–70, 71, 98, 109 तथा 115 और नियमावली के नियम संख्या–312, 331, 332, 336, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378 और 440 के अधीन,

(ग) केवल प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों के सम्बंध में जिनका मुख्यालय उसकी अधिकारितो क्षेत्र में हो, उक्त अधिनियम की धारा–27, 29, 31, 65, 68,74, 91, 92, और नियमावली के नियम संख्या–42, 43, 60, 61, 62, 90, 97, 110,111, 124, 125, 151, 178, 180, 213, 214, 215, 224, 234, 402, 403, 409 और 414 के अधीन, निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) धारा 98 की उपधारा (3) के अधीन दिये गये आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अधिनियम की धारा–98 की उपधारा–(2) के खण्ड (ख) के अधीन निबंधक को अपील सूनने की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

(क) धारा–98 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किसी अधिनिर्णय की स्थिति में, अधिकारी (जिसमें उसका उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) जिसके द्वारा यथास्थिति मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल नियुक्त किया गया हो, शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ख) धारा–98 की उपधारा(1) के खण्ड(ग)में निर्दिष्ट किसी निर्णय की स्थिति मेंः

(1) ऐसे केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति से सम्बंधित विवाद में जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में हो, मुख्यावास का उपनिदेशक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2)ऐसे प्रारंम्भिक दुग्ध सहकारी समिति से सम्बंधित विवाद की स्थिति में, जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, जिले का सहायक निदेशक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ग) धारा–98 की उपधारा(1) के खण्ड (ड़) में निर्दिष्ट किसी आदेश की स्थिति में मुख्यावास का उपनिदेशक, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समिति का मुख्यालय स्थित हो, शक्ति का प्रयोग करेगा, यदि दुग्ध सहकारी समिति का परिसमापक धारा–74 की उपधारा–(2) के अधीन निबंधक की शक्ति का प्रयोग करने वाले सहायक निदेशक के नियंत्रण में हो

(6) धारा–70 और 71 के अधीन शक्तियों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(एक) जहां विवाद सम्पत्ति या धनराशि के दावे और सम्बंधित हो, का सन्दर्भ,

(क) यदि अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दस हजार रूपये से अधिक न हो, सहायक निदेशक को किया जायेगा परन्तु जहां विवाद एक से अधिक जनपदों की दो या दो से अधिक दुग्ध सहकारी समितियों के बीच हो, वहा उपनिदेशक, मुख्यावास को किया जायेगा।

(ख) यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दस हजार रूपये से अधिक, किन्तु पच्चीस हजार रूपये से अधिक न हो, मुख्यावास के उपनिदेशक को किया जायेगा।

(ग) यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पच्चीस हजार रूपये से अधिक हो, निदेशक को किया जायेगा।

(दो) जहां विवाद प्रबंध कमेटी के गठन या दुग्ध सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी व प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बंधित हो, वहां संदर्भः–

(क) शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति की दशा में दुग्ध आयुक्त को किया जायेगा,

(ख) शीर्ष सहकारी समिति से भिन्न किसी सहकारी समिति की स्थिति में उस जनपद के, जिसकी समिति हो, जनपदीय मजिस्ट्रेट को किया जायेगा।

(तीन) जहां विवाद इस अधिसूचना के पैरा –6 के उपपैरा (1) या उपपैरा (2)के अधीन न आने वाले किसी निर्णय के सम्बंध में हो, मुख्यावास के उपनिदेशक को किया जायेगा।

(2) इस अधिसूचना के पैरा–(6) के उप पैरा–1 के अधीन सन्दर्भ प्राप्त होने पर :–

(क)सहायक निदेशक विवाद का निर्णय स्यवं कर सकता है या, यथास्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष की इस शर्त पर नियुक्त कर सकता है कि यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दस हजार रूपये से अधिक न हो तो यथास्थिति मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष उस श्रेणी को होगा जो वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पद के नीचे का न हो या ऐसा व्यक्ति होगा, जो वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो,

(ख) मुख्यावास का उपनिदेशक विवाद का निर्णय स्वंय कर सकता है या, यथास्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डलके अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है जो राज्य सरकार के द्वितीय वर्ग के राजपत्रित अधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो या जो राज्य सरकार के द्वितीय वर्ग के राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवा निवृत्त हो,

(ग) निदेशक या दुग्ध आयुक्त विवाद का निर्णय स्वंय कर सकता है, या यथास्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है, जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारी से निम्न श्रेणी को ना हो या जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो,

परन्तु जहां विवाद इस अधिसूचना के पैरा(6) के उप पैरा (2)में अंकित हो, वहां याथास्थिति मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष उस विवाद से सम्बंधित शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति के पर्यवेक्षण या प्रशासन से सम्बंधित डेयरी विकास विभाग का कार्यरत अधिकारी न होगा।

(घ) जनपदीय मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वंय कर सकता है, या अपने अधीन परगना मजिस्ट्रेट में से किसी एक को यथास्थिति मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

ह0/–

(डा0 आर0एस0टोलिया)

प्रमुख सचिव,

संख्या–1052(1)/डेयरी/बन एवं ग्रा0वि0/2001 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अंग्रेजी अनुवाद सहित उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को उत्तरांचल शासन के असाधारण,गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 के खण्ड ''ख'' में मुद्रित कराने तथा इसकी 100 प्रतियां शासन के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. दुग्ध आयुक्त, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. निदेशक सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन/आकाशवारणी के माध्यम से कराने का कष्ट करें।

(डा0पी0एस0गुसाई)

अपर सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास विभाग
संख्याः 364/उत्तरांचल राज्य/75
लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2001
कार्यालय ज्ञाप

नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए प्रदेश के विभिन्न मानव संसाधन तथा वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए दुग्ध सचिव के अर्धशासकीय पत्रांक सं0 143/28–12–2000–1–राज्य /2000 दिनांक 06.09.2000 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थायी आवंटन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग–1, पत्र संख्या–1134/का0–1/13(12)/2000 दिनांक 06 नवम्बर, 2000 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए दुग्ध विकास विभाग के अधीन निम्नलिखित संवर्ग के पदों को स्थायी रूप से आवंटित किया जाता है।

क0सं0	पद का नाम	वेतनमान	उत्तरांचल राज्य हेतु आवंटित पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ सहायक /रोकड़िया	4000–6000	02
2.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	03
3.	लेखाकार	4500–7000	01
4.	सहायक लेखाकार	4000–6000	02
5.	आशुलिपिक	4000–6000	04
6.	लेखालिपिक	4000–6000	07
7.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	5000–8000	21
8.	दुग्ध निरीक्षक	4500–7000	15
9.	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	11
10.	अन्वेषक कम संगणक	4500–7000	01
11.	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	3200–4900	75
12.	सहयोगी	2550–3200	25
13.	चालक	3050–4590	17
	कुल पद		**184**

2. मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग–1 के उल्लेखित पत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2000 के प्रस्तर–7(1) के अधीन उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प देने वाले संलग्न परिशिष्ट में

उल्लेखित विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य हेतु तात्कालिक प्रभाव से स्थायी रूप से आवंटित किया जाता है।

3. तात्कालिक प्रभाव से उल्लेखित कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश राज्य से कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा।
4. इस आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य में तैनात कर्मचारी तत्काल कार्यमुक्त होकर नवगठित उत्तरांचल राज्य में अपनी योगदान आख्या उत्तरांचल राज्य के मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी श्रीनगर–गढ़वाल को प्रस्तुत करेंगे।
5. नवगठित उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों की तैनाती का अधिकार उत्तरांचल राज्य का होगा।

ह0–/
(आलोक सिन्हा)

आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

संख्याः /तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उत्तरांचल/दुग्ध विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. सचिव, कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को चार प्रतियों में।
5. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रम्य विकास उत्तरांचल शासन देहरादून।
6. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन जनपद मार्केट हजरतगंज लखनऊ।
7. श्रीमती हेमलता ढ़ैडियाल संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी 529 जवाहर भवन लखनऊ।
8. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
9. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाविकास अधिकारी।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0–/
(आलोक सिन्हा)
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

संख्या–818 / बारह–दु0वि0–92–2(59)84

प्रेषक,

श्री सी0एल0पुष्कर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0
लखनऊ ।

दुग्ध विकास विभाग — लखनऊः दिनांकः 30 मई, 1992

विषयः– मण्डलीय कार्यालयों की स्थापना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–758 / 12–दु0वि0–2(59) / 84 दिनांक 26–4–91 के क्रम में तथा आपके पत्र संख्या–2877 / लेखा–क / 50(11) / बजट दिनांक 27 मार्च 1992 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–2844 / बारह–दु0वि0 2 (59) / 84 दिनांक 8 अक्टूबर 1985 में स्वीकृत निम्नलिखित 16 (सोलह) पदों की निरन्तरता की स्वीकृति दिनांक 1–3–92 से दिनांक 28–3–92 तक, पूर्व निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ बशर्ते कि उनकी बिना पूर्व नोटिस के इससे पहले ही समाप्त न कर दिया जायें, प्रदान करते है :–

क्र0स0	**पद का नाम**	**वेतनमान(रू0)**	**पदों की संख्या**
1.	दुग्धशाला विकास अधिकारी	3000–4500	2
2.	आशुलिपिक	1400–2300	7
3.	सहायक लेखाकार	1200–2040	7
	योगः–		**16**

इस संबंध में होने वाला व्यय 1992–93 के आय व्ययक में लेखाशीर्शक –2404–दुग्धशाला विकास–आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–07–डेरी विकास कर्मचारी वर्ग योजना–मण्डलीय कार्यालय के अन्तर्गत उपयुक्त प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा

उपरोक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें।

भवदीय

ह / –

(सी0एल0पुष्कर)
संयुक्त सचिव,

संख्या–818(1) / बारह–दु0वि0–92–2(59)84 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

02. कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 / वित्त (वेतन आयोग) अनु–1 / 2 (3–3 प्रतियां)।

03. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–2।

आज्ञा से
ह / –
(सी0एल0पुष्कर)
संयुक्त सचिव,

संख्या 1471/28–8–90–4(8–दु0)/88

प्रेषक,

श्री मदन मोहन सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

पर्वतीय विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक 8, नवम्बर, 1990

विषयः– दुग्धशाला विकास श्रीनगर डेरी प्रोजेक्ट कर्मचारी वर्ग योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1355–57/श्रीनगर–प्रो0स्टाफ/1990–91 दिनांक 6–4–1990 एवं शासनादेश संख्या 617/28–8– 90– 4–(8–दु0)/88 दिनांक 29–3–90 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्रीनगर में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों एवं दुग्ध सम्पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु श्रीनगर–गढ़वाल में श्रीनगर डेरी प्रोजेक्ट कार्यालय के लिए राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में उक्त योजना के अर्न्तगत निम्नलिखित स्थायी पदों की उनके सामने अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 20 फरवरी 1991 तक के लिए वशर्ते उसे बिना पूर्व नोटिस के उनके पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0सं0	**पद का नाम**	**वेतनमान**	**पदो की संख्या**
1.	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी–कम प्रोजेक्ट अधिकारी	2200–75–2800–द0रो0–100–4000	1
2.	उप दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता	2200–75–2800–द0रो0–100–4000	1
3	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक–कम सहायक परियोजनाधिकारी	1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60–2600	1
4.	लेखाकार	1400–40–1600–द0रो0–50–2300	1
5.	वरिष्ठ सहायक	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	1
6.	कनिष्ठ लिपिक/टंकण	950–20–1150–द0रो0–25–1500	1
7	लेखलिपिक कम रोकड़िया	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	1
8.	चालक	950–20–1150–द0रो0–25–1500	1
9	अर्दली(सहयोगी)	750–12–870–द0रो0–14–940	1
10	चौकीदार	750–12–870–द0रो0–14–940	1
	योगः–		**10 पद**

2. उक्त पद दुग्धशाला विकास विभाग के संवधित संवर्ग में स्थायी वृद्वि के रूप में मानी जायेगें तथा पद धारको को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो भी नियमानुसार अनुमन्य हो देय होगें।
3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–47 के लेखाशीर्षक 2551–पहाड़ी क्षेत्र–60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र–योजनागत–143–डेरी विकास–06–दु0वि0 कर्मचारी योजना **(श्रीनगर दुग्धशाला प्रोजेक्ट)** के नाम डाला जायेगा।

4. राज्यपाल महोदय उप दुग्धशाला विकास अधिकारी श्रीनगर प्रोजेक्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्त अधिकारी एवं अपने अधीनस्थ स्टाफ का आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष और नियंत्रण अधिकारी भी घोषित करते है।
5. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्रांक संख्या–ई–4/2368/10–90–दिनांक 06–11–90 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/
(मदन मोहन सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,

संख्या 1471(1)1(1)/28–8–90–4(8–दु0)/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, (रिपोर्ट) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
02. जिलाधिकारी, गढ़वाल।
03. कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं उप कोषाधिकारी, श्रीनगर गढ़वाल।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4
05. पर्वतीय विकाय अनुभाग–3/10/
06. पर्वतीय विकास राज्य मंत्री जी के निजी सचिव
07. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव ।
08. महालेखाकार (आडिट) प्रथम सी0एण्डए0/टी0ए0डी0–3,को आटिनेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
09. उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
10. क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, गढ़वाल मण्डल श्रीनगर गढ़वाल।
11. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून।
12. एन0एन0वर्मा, विशेष कायाधिकारी मुख्यमत्री सूचना केन्द्र चन्द्रलोक विलिडिग जनपद–नई दिल्ली।
13. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय पर्वतीय विकास विभाग कुमायूँ मण्डल अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मण्डल श्रीनगर (गढ़वाल)
14. निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री इलाहाबाद तथा संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री लखनऊ/रामपुर।

आज्ञा से,

(मदन मोहन सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,

संख्या 1481/28–8–89–4(30–दु0)/88

प्रेषक,

श्री मदन मोहन सिंह,
विशेश कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

पर्वतीय विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 1990

विषयः– दुग्धशाला विकास कर्मचारी वर्ग योजना नोडल अधिकारी कार्यालय वर्ष 1990–91

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–1343–45/पर्व0/नो0अ0/90–91 दिनांक 05 अप्रैल, 1990 एवं शासनादेश संख्या–306/ 28–8–89–4 (30–दु0)/88 दिनांक 31–03–1990 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में दुग्शाला विकास संबंधी कार्य की स्वीकृति दिलाने तथा विभिन्न जनपदीय तथा मण्डलीय कार्यालयों एव दुग्धशालाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने तथा निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करने के उददेश्य से श्रीनगर (गढ़वाल) में स्थापित मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी (पर्व0)/नोडल अधिकारी के कार्यालय हेतु राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष में 1990–91 हेतु दुग्ध योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सामने अंकित वेतनमान में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी 1991 तक के लिए, बशर्ते इन्हें बिना पूर्व नोटिस के उससे पूर्व ही समाप्त कर दिया जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

क्र0सं0	**पद का नाम**	**वेतनमान**	**पदो की संख्या**
1.	आशुलिपिक	1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60	01
2.	संख्या सहायक	1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60–2600	01
3.	वरिष्ठ सहायक	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	01
4.	दुग्ध निरीक्षक	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	01
5.	सहायक लेखाकार /कैशियर	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	01
6.	कनिष्ठ लिपिक	950–20–1150–द0रो0–25–1500	01
7.	ड्राईवर	950–20–1150–द0रो0–25–1500	01
8.	अर्दली/चपरासी	750–12–870–द0रो0–14–940	02
	योगः–		**09**

2. उक्त पद दुग्धशाला विकास विभाग के संवधित संवर्ग में अस्थाई वृद्वि के रूप में माने जायेगें तथा पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृति मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो भी नियमानुसार अनुमन्य हो, देय होगें।
3. शासनादेश संख्या 506/28–8–89–4(30–दु0)/88 दिनांक 31–3–90 द्वारा दुग्ध आयुक्त के पी0एल0ए0 में जमा कराई गई धनराशि रू0 4.01 लाख (चार लाख एक

हजार) को उक्त पी0एल0एल0 से आहरित करने की अनुमति भी एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

4. उक्त व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में आय व्ययक के अनुदान संख्या–47 के लेखाशीर्षक 2551–पहाड़ी क्षेत्र–60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–143–डेरी विकास–07–दुग्ध विकास कर्मचारी योजना (नोडल अधिकारी) के अंतर्गत प्राथमिक सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या ई–4/1893/दस–90 दिनांक 25–7–90 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/

(मदन मोहन सिंह)

विशेष कार्याधिकारी,

संख्या 1481(1)1(1)/28–8–90–4(30–दु0)/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उत्तर–प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, गढ़वाल देहरादून, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल), उत्तरकाशी, गोपेश्वर (चमोली), नैनीताल अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़।
3. कोषाधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल एवं उपकोशाधिकारी श्रीनगर (गढ़वाल) एवं जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–4।
5. पर्वतीय अनुभाग 9/10/टे0से0/कम्पयूटर सैल तथा दुग्ध विकास अनुभाग।
6. पर्वतीय विकास मंत्रीजी के निजी सचिव।
7. मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव।
8. महालेखाकर (आडिट) प्रथम सी0ए0एस0एस0–11/टी0ए0डी0–3 को–आडिनेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
10. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय पर्वतीय विकास विभाग अल्मोड़ा तथा श्रीनगर गढ़वाल।
11. क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी दुग्धशाला विकास उ0प्र0 कुमाऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल एवं गढ़वाल मण्डल श्रीनगर–गढ़वाल तथा अल्मोड़ा।
12. उप दुग्धशाला विकास अधिकारी दुग्धशाला विकास उ0प्र0 हल्द्वानी (नैनीताल), अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ देहरादून, गढ़वाल गोपेश्वर चमोली, नई टिहरी एवं उत्तरकाशी।
13. अपर निदेशक, पर्वतीय पशुपालन विभाग, चमोली।

आज्ञा से,

ह0/

(मदन मोहन सिंह)

विशेष कार्याधिकारी

संख्या–3484 / 28–8–88–4(17–दुं0.)87

प्रेशक,

श्री मदन मोहन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0
लखनऊ ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 15 फरवरी, 1989

विषयः–दुग्धशाला विकास कर्मचारी वर्ग सुदृढ़ीकरण योजना (जनपदीय कार्यालय) के अन्तर्गत पिथौरागढ़ एवं नैनीताल जनपदों हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 666 / दुग्ध / पर्व0 / ज0का0 / 88–89 दिनांक 24–6–88 तथा 1222 / पर्व0 / ज0का0 / 88–89 दिनांक 24–10–88 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दुग्ध विकास विभाग के जनपदीय कार्यालय पिथौरागढ़ एवं नैनीताल (हल्द्वानी) में पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण योजना का कार्यान्यवन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, फलस्वरूप दुग्ध विकास कार्यक्रमों का लाभ जहां ग्रामीण क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अतः राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 1988–89 में उक्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सामने अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी 1989 तक के लिए बशर्ते इससे पूर्व बिना किसी नोटिस के इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिया जायें, सृजित करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है। यह पद दुग्धशाला विकास विभाग के संबंधित संवर्ग के अस्थायी बृद्वि के रूप में माने जायेंगें तथा पदधारक को शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी अनुमन्य होगें।

क्र0 स0	जनपद	पद का नाम	वेतनमान(रू0)	पदों की संख्या
1.	हल्द्वानी नैनीताल	वरिष्ठदुग्ध निरीक्षक	570–25–770–द0रो0–30–980–द0रो0–30–1100	1
2.		दुग्ध निरीक्षक	470–15–575–द0रो0–15–650–17–701–द0रो0–17–735	1
3.		राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	400–10–450–12–474–द0रो0–12–500–द0रो0–15–615	2
4.		कनिष्ठ लिपिक / टंकक	354–10–424–द0रो0–10–454–12–514–द0रो0–12–550	1
5.	पिथौरागढ़	लेखा लिपिक	430–12–490–15–520–द0रो0–15–640–द0रो0–15–685	1
		योगः–		**6**

2. राज्यपाल महोदय उक्त योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1988–89 में निम्नलिखित मदों पर व्यय हेतु 50,000.00 (पचास हजार मात्र) धनराशि आपके अधिकार में रखने की भी स्वीकृति प्रदान करते है।

क0स0	मद	धनराशि (रू0 में)
01.	वेतन	19,000
03.	मंहगाई भत्ता	17,000
04.	यात्रा व्यय	6,000
05.	अन्य भत्ते	2,000
32.	अन्तरिम सहायता	6,000
	योग	**50,000**

स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप किया जायें तथा जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, व्यय करने के पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जायें। यात्रा व्यय तथा पेट्रोल खरीद मद में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जायें।
तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय व्यय के अनुदान संख्या–47 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–''2551–पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र–153–डेरी विकास–01–डेरी विकास योजना'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
यह आदेश वित्त विभाग के अर्ध शासकीय संख्या–ई–4/253/89/दस–88 दिनांक 1/2/89 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह/–
(मदन मोहन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–3484/(1)/28–8–88–4(17–दु0)/87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
02. जिलाधिकारी, नैनीताल एवं पिथौरागढ़।
03. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, कोषाधिकारी, नैनीताल एवं उप कोषाधिकारी, हल्द्वानी एवं नैनीताल तथा कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/वित्त (वेतन आयोग) अनु–1/2(3–3 प्रतियां)
05. पर्वतीय विकास अनुभाग–9/10, टेक्निकल सैल/दुग्ध विकास अनुभाग।
06. पर्वतीय विकास राज्यमंत्री जी के निजी सचिव।
07. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
08. निजी सचिव, उपाध्यक्ष (द्वितीय)/तृतीय पर्वतीय विकास परिषद, उ0प्र0।
09. महालेखाकार (आडिट) प्रथम,सी0ए0एस0एस0–iii/टी0ए0डी0–3,कोआर्डिनेशन, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10. उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,हल्द्वानी–नैनीताल तथा पिथौरागढ़।
11. जिला विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विकास/अपर जिलाधिकारी प्रोजेक्ट, नैनीताल एवं पिथौरागढ़।
12. क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।

आज्ञा से
ह/–
(मदन मोहन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या 3848/28–8–87–4(6–दु0)/84

प्रेषक,

श्री चन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक 18, अगस्त, 1987

विषयः– दुग्धशाला विकास कर्मचारी वर्ग योजना के अर्न्तगत मण्डलीय कार्यालय की स्थापना। (कुमायूँमण्डल)

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–175–78/1–1/बजट/87–88 दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में दुग्शाला विकास कार्यक्रमों एव दुग्ध आपूर्ति योजनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्वि होने के कारण तथा आपके उक्त संदर्भ पत्र में दिये गये परिस्थितियों को देखते हुए वर्ष 1987–88 में नैनीताल में मण्डलीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए निम्नलिखित पदो के सृजन तथा कार्यालय में एक टेलीफोन स्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 1987–88 में उक्त योजनान्र्तगत निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सामने अंकित वेतनमान में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29 फरवरी 1988 तक के लिए, बशर्ते इन्हें बिना पूर्व नोटिस के उससे पूर्व ही समाप्त कर दिया जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह पद दुग्धशाला विकास विभाग के संवधित संवर्ग में वृद्वि के रूप में मानी जायेगी। तथा पदधारको को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगेंः–

क्र0सं0	**पदका नाम**	**वेतनमान**	**पदो की संख्या**
1.	दुग्धशाला विकास अधिकारी	1250–2050	1
2.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	570–1100	1
3.	आशुलिपिक	515–860	1
4.	वरिष्ठ लिपिक	430–685	1
5.	लेखालिपिक/रोकड़िया	430–685	1
6.	अन्वेषक–कम–संगणक	470–735	1
7.	सहायक लेखाकार	470–735	1
8.	कनिष्ठ लिपिक	354–550	1
9.	सहयोगी	305–390	1
10.	चौकिदार	305–390	1
	योगः–		**10**

2– राज्यपाल महोदय उक्त योजना के अर्न्तगत चालू वित्तीय वर्ष (1987–88) में निम्नलिखित मदों पर व्यय हेतु 2,66,000.00 रूपये मात्र (दो लाख छयासठ हजार मात्र) की धनराशि आपके अधिकारी में रखने की भी स्वीकृति प्रदान करते है।

संख्या	मद	धनराशि (रूपये में)
01–	वेतन	84,000.00
03–	मंहगाई भत्ता	67,000.00
04–	यात्रा व्यय	25,000.00
05–	अन्य भत्ते	13,000.00
06–	कार्यालय व्यय	41,000.00
07–	टेलीफोन पर व्यय	10,000.00
11–	किराया/उपशुल्कएवं कर	12,000.00
32–	अंतरिम सहायता	14,000.00
	योगः–	**2,66,000.00**

3–स्वीकृति धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमो एवं आदेशों के अनुसार किया जाय तथा जहां आवश्यक हो, समक्ष प्राधिकारी की अनुमति व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लियें जाए। यात्रा व्यय तथा पेट्रोल की खरीद के मद में स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4– तद्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष (1987–88) के आय–व्यय के अनुदान संख्या–47 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2551–पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र–153–डेरी विकास के अन्तर्गत सुंसगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– ये आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या–ई0–2–1883/10–87 दिनांक 31 मार्च 1987 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,
ह/–
(चन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–3848/(1)/28–8–86–4(6–दु0/84 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ एवं कोषाधिकारी नैनीताल।
4. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2।
5. पर्वतीय अनुभाग–9/10/टे0सं0/दुग्ध विकास अनुभाग।
6. पर्वतीय विकास राज्य मंत्रीजी के निजी सचिव।
7. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव ।
8. निजी सचिव,उपाध्यक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास परिषद उत्तर प्रदेश।
9. महालेखाकार (आडिट) प्रथम सी0एण्डसए0/टी0ए0डी0–3,कोआटिनेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
11. उप विकास आयुक्त,कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

आज्ञा से,
ह/–
(चन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव